न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 89/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. विक्रेता रिटेलर – श्री विजय कुमार आसनानी पुत्र श्री सेउमल, जाति सिन्धी, मैसर्स अमित किराना स्टोर, पुरानी चुगी के पास, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (निवासी प्लॉट नम्बर 231, चन्द्रा कॉलोनी, किशनगढ़ जिला अजमेर)
2. फर्म –मैसर्स अमित किराना स्टोर, पुरानी चुगी के पास, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
3. होलसेलर – श्री अनिल दयावानी पुत्र श्री किशनचन्द दयावानी, मैसर्स ए. के. एजेन्सी, बालाजी मन्दिर के सामने, कोठारी कॉम्पलैक्स, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (निवास 286, मित्र निवास कॉलोनी, मझेला रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर)
4. फर्म –मैसर्स ए. के.एजेन्सी, बालाजी मन्दिर के सामने, कोठारी कॉम्पलैक्स, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
5. नॉमिनी निर्माता –श्री राहुल श्रीवास्तव, मैसर्स एन.आई.एफ. प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 119, 120 (Part) (Block P & T), Kalpi Road, फजलगंज, कानपुर (उप्र)
6. फर्म –मैसर्स एन.आई.एफ. प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 119, 120 (Part) (Block P & T), Kalpi Road, फजलगंज, कानपुर (उप्र)
7. सी एण्ड एफ –दुकान नम्बर 19, 20, 21, श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, रोड नम्बर 14, जयपुर

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52के तहत

अप्रार्थी अभिभाषक श्री यू एस शर्मा

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक–03.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी न`मिस ब्राण्ड घी पैक्ड (सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर), खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, विक्रेता एवं फर्म को दिया गया नोटिस एवं प्रत्युत्तर, होलसेरल फर्म को दिया गया नोटिस एवं प्रत्युत्तर, निर्माता फर्म को दिया गया नोटिस एवं प्रत्युत्तर, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट, अग्रेषण पत्र लिखित अभियोजन स्वीकृति बाबत तथा अभिहित अधिकारी द्वारा लिखित अभियोजन स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.10.2016 को 02:30 पीएम पर बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीरमेश चन्द सैनी मैसर्स अमित किराना स्टोर, पुरानी चुगी के पास, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे।विक्रेता की हैसियत से श्री विजय कुमार आसनानी मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान घी पैक्ड (सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) के करीब 40–50 पैकेट 200एम एल के कार्टून पैक में विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त घी मानक स्तर का नहीं होने का का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 200 मिली के 04 पैकेटरू. 380/– नगद विक्रेता को देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री विजय कुमार आसनानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा घीको विक्रेता के सामने चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एजे–816 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए/2016/7204 दिनांक 17.11.2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/637/एक्ट/2016/687 दिंनांक 10.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी पैक्ड(सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)मिस ब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक16.10.2017 को प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 16.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री विजय कुमार आसनानी व अन्यको विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.11.2017 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 04.04. 2018 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री यू एस शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 04.01.2019को अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया।

नियत पेशी दिनांक 03.07.2025 को अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में कथन किया कि न तो याचिकाकर्ता न ही यह न्यायालय वर्तमान आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकृत है। उनके द्वारा यह कथन किया गया कि परिवादी द्वारा घी पैक्ड सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड को मिसब्राण्ड होना बताया गया है। इसी बिन्दु पर विभिन्न खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर, भरतपुर, अलवर, जोधपुर में परिवाद प्रस्तुत किये गये जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णय दिनांक क्रमशः 19.06.2014, 13.11.2014, 04. 06.2015 व 31.05.2016 में परिवादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लंघन साबित नहीं होने के कारण साक्ष्य सबूतों के अभाव में परिवाद को निरस्त कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दो प्रकरणों में दिये गये निर्णयों को भी उद्‌धृत किया है। अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 47 की पालना नहीं की है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अप्रार्थीगण ने परिवाद को निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद मय दस्तोवज का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये घी (सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) मिस ब्राण्ड पाया गया है,

परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया घी (सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) मिस ब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है, जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा परिवाद निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणद्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत घी (सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) मिस ब्राण्डखाद्य पदार्थबेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52में मिस ब्राण्ड खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जाती है–

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 52 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 6)**मैसर्स एन आई एफ प्राइवेट लि., कानपुर जरिये अप्रार्थी संख्या 5 पर रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र)
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 व धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता रिटेलर) श्री विजय कुमार आसनानी, मैसर्स अमित किराना स्टोर, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, किशनगढ़ पर रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र)

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 0307.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.07.2025को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर
4. श्री विजय कुमार आसनानी पुत्र श्री सेउमल, जाति सिन्धी, मैसर्स अमित किराना स्टोर, पुरानी चुगी के पास, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (निवासी प्लॉट नम्बर 231, चन्द्रा कॉलोनी, किशनगढ़ जिला अजमेर)
5. मैसर्स अमित किराना स्टोर, पुरानी चुगी के पास, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
6. श्री अनिल दयावानी पुत्र श्री किशनचन्द दयावानी, मैसर्स ए. के.एजेन्सी, बालाजी मन्दिर के सामने, कोठारी कॉम्पलैक्स, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (निवास 286, मित्र निवास कॉलोनी, मझेला रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर)
7. मैसर्स ए. के.एजेन्सी, बालाजी मन्दिर के सामने, कोठारी कॉम्पलैक्स, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
8. श्री राहुल श्रीवास्तव, मैसर्स एन.आई.एफ. प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 119, 120 (Part) (Block P & T), Kalpi Road, फजलगंज, कानपुर (उप्र)
9. मैसर्स एन.आई.एफ. प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 119, 120 (Part) (Block P & T), Kalpi Road, फजलगंज, कानपुर (उप्र)
10. सी एण्ड एफ – दुकान नम्बर 19, 20, 21, श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, रोड नम्बर 14, जयपुर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर